मु० नं. 54/2018 जतनी V/S बंशी लाल.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
11/11/2019	[illegible] उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
20/11/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 54/2018
तारीख निर्णय– 20/11/2019

प्रार्थी :–

1. जतनों पत्नी ओटसिंह
2. राजूसिंह पुत्र ओटसिंह जी
3. स्वर्गीय मोहनसिंह पुत्र ओटसिंह के वारिसान
   3/1 तेजसिंह पुत्र मोहनसिंह जी
   3/2 पुखसिंह पुत्र मोहनसिंह जी
   3/3 कमला पुत्री मोहनसिंह जी
   3/4 नारंगी पुत्री मोहनसिंह जी
   4/5 कंवरीदेवी पत्नी मोहनसिंह जी
   जातिगण–पुरोहित निवासीगण– वाडका, तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1. बंशीलाल पुत्र ओटसिंह जी जाति–पुरोहित, निवासी–वाडका तहसील–देसूरी
2. कोजूसिंह पुत्र रामसिंह जी
3. भवानीसिंह पुत्र रामसिंह जी जातिगण–पुरोहित निवासीगण–बित्ति हाल–वाडका तहसील–देसूरी जिला–पाली
4. राजस्थान सरकार(भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला–पाली

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राज.काश्त अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील सुधीर श्रीमाली।
2–अप्रार्थीगण संख्या–1 से 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 20.11.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा [illegible] तहसील–देसूरी के खसरा नम्बर 214 रकबा 1.7500 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न. 2

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कब्जासूद है। मौके पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी एक चक के रूप मे पूर्णरूपेण सयुक्त होकर अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगस्त आराजी का कुछ भाग अप्रार्थी संख्या दो व तीन को बिना आधिपत्य के बेचान कर दिया है। जिसका एकमात्र कारण सम्पूर्ण वादगस्त आराजी अविभाजित है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने कभी भी अपनी वृद्ध माता जतनों प्रार्थी संख्या एक की सेवा चाकरी नही करता है। तथा वादगस्त आराजी ग्राम वाडका की आबादी भूमि के सटते ही स्थित होने से अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी के विशेष, विकसित व कीमती भाग को बिना विभाजन के अन्य व्यक्तियों को कौडियों के भाव में बेचान या अन्य को हस्तांतरण करने हेतु तत्पर है।जिसका अप्रार्थीगण का कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य से मजबुरन होकर प्रार्थीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में विघमान अपना हिस्सा कानूनी मिट्स एण्ड बाउण्डस के जरिये पृथक करवाना चाहते है। प्रार्थी संख्या एक का वादग्रस्त आराजी में 1/4, प्रार्थी संख्या दो का 1/4 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 के वारिसान का 1/4 हिस्सा विद्यमान है। यानि कुल प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खातेदारी व विद्यमान है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का अविभाजित होने से जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा, पृथक रास्ता, कीमत के आधार पर नही होता तब तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को अन्य को बेचान व अन्य को हस्तातंरण करने का अधिकारी नही है। लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है। जिससे तुरन्त ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को रोकना नितान्त अतिआवश्यक है।

अतः जब तक वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो जाता है, तब तक वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग को अप्रार्थीगण स्वयं या उसके एजेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या अन्य हस्तांतरण, रहन न तो स्वयं करे या न ही किसी ओर से करावे जिस हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण एक व दो की ओर से वकील पेमाराम व सुशील दवे उपस्थित। तथा अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण एक व दो की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 6.11.2019 को जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1. Mali ram vs radhey shyam RRT 2003(1)-316
2. Damodar Prasad vs Laxminarain RRT jan. 2001(1)-20

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न. 3

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

3. Marudhar sales corp. vs state of raj- RRT 2006(2)-1100

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेत अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जासूद है। मौके पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी का विशेष, विकसित व कीमती भाग को बिना विभाजन के अन्य बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति को बेचान व हसतांतरण करने को तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र का प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थीगण जबरदस्ती बलपूर्वक अविभाजित सयुक्त वादग्रस्त आराजी या उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या अन्य को हस्तांतरण करने हेतु तत्पर है। जिसका कोई विधिक हक, अधिकार हक, अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है।

अतः प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व वाद विवाद बढने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। वादग्रस्त आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा इस दौरान यदि आराजियात का अन्तरण हो गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का विशेष, विकसित एवं कीमती स्पेशिफीक भाग को गलत तरीके से अन्य अजनबी व्यक्ति को हस्तांतरण बेचान करने हेतु तत्पर है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नही है। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकन नही किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात के अन्तरण करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन मे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है, जिससे इसी अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है एवं दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को [illegible] किये जाने की सूरत मे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना [illegible] है जिससे न्यायालय की राय प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्या[illegible] किया जाना उचित है अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न. 4

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

-: आदेश :-

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ...–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 01 ...03 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– कृषि भूमि ...ाडका , तहसील–देसूरी (पाली) के खसरा नम्बर 214 रकबा 1.7500 हैक्टर की मूल ... के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–20/11/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested